Indian Streams Research Journal
Vol -2 , ISSUE –6, July.2012
ISSN:-2230-7850
Available online at www.lbp.world

ORIGINAL ARTICLE

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) कोरबा में कार्यदशाएं, कर्मचारी कल्याण एवं आधारभूत सुविधाएँ एक अध्ययन

नितेश कुमार अग्रवाल
शोध छात्र (वाणिज्य) सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर (छत्तीसगढ़)

डॉ. विवेक मधुकर दांडेकर
शोध निर्देशक, सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य) उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन.

सारांश

भारत विश्व की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण औद्योगिक राष्ट्र के रूप में स्थापित होने के लिए प्रयासरत् है। किसी भी देश की आर्थिक सम्पन्नता एवं सुदृढ़ता उस देश के उन्नत उद्योगों पर निर्भर करती है, परंतु वर्तमान युग औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का है, इस औद्योगिक प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए उद्योगों का पूर्णरूप से विकसित होना आवश्यक है। वर्तमान में उन्हीं देशों को अग्रणी एवं शक्तिशाली माना जाता है जहाँ का औद्योगिक विकास तीव्र गति से हुआ हो उद्योगों के विकास में जहाँ प्राकृतिक संसाधनों का होना अनिवार्य होता है वहीं मानवीय संसाधनों को भी कम नही ऑका जा सकता है। अत: यह भी उत्पादन के साधनों में एक प्रमुख अंग है। औद्योगिक विकास की प्रक्रिया एक बार प्रारंभ कर दी जाती है तो उसकी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया परिवर्तनों की अगली श्रृंखला को जन्म देती है और इस प्रकार के परिवर्तनों का क्रम अनवरत् रूप से चलता रहता है। औद्योगिक विकास एक दीर्घकाल तक चलने वाली प्रक्रिया है। पं. जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में– ''समस्त राष्ट्र जिस देवता की पूजा करते है वह देवता औद्योगीकरण, वह देवता है मशीन, वह देवता है वृहद् उत्पादन तथा अधिकाधिक लाभ के लिए प्राकृतिक शक्तियों एवं संसाधनों का अधिकाधिक उपयोग।'' औद्योगिक प्रणाली और देश के भावी विकास के लिए मानव श्रम के महत्व को सभी ने स्वीकार किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास में श्रम का बड़ा योगदान रहा है और इस बात की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है कि बिना मानव श्रम को संतुष्ट रखे औद्योगिक प्रगति अबाध गति से प्राप्त नहीं की जा सकती है।

१. प्रस्तावना एंव परिचय

भारत धातु उद्योगों के लिए प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है। औद्योगिक विकास, प्रगति तथा सुरक्षा के लिए एल्यूमिनियम उद्योगों का विकास किया गया। हमारे देश में लोहा इस्पात उद्योग के बाद धातु उद्योग में दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग एल्यूमिनियम उद्योग है। वर्तमान समय में इस धातु के गुणों के कारण इसके उपयोग के नये–नये क्षेत्र के विकसित होने के कारण

इस धातु पर आधारित उद्योगों की महत्ता और भी बढ़ गई है। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर संभाग में स्थित कोरबा जिला ताप नगरी के नाम से प्रख्यात है। यहां भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड बालको की स्थापना २७ नवम्बर १९६५ में की गई। यह कम्पनी एशिया की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली है। यहां उत्पादन कार्य १९७३ से प्रारंभ हुआ। इस उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में बाक्साईड का आयात मध्यप्रदेश के शहडोल जिले में स्थित अमरकंटक से किया जाता है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी में कर्मचारी कल्याण एवं आधारभूत सुविधाएं के अंतर्गत किसी औद्योगिक इकाई में कार्य की दशाएँ एवं कार्य की प्रकृति ही श्रमिकों की कार्य क्षमता को निर्धारित करती है यदि कार्य की दशाएं श्रमिकों की मानसिकता के अनुकूल हो तो उत्पादन में अनुकूल वृद्धि होती है। इसके विपरीत कार्य की प्रकृति श्रमिक के कार्यकलाप के प्रतिकूल हो तो कार्य क्षमता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिससे न केवल आर्थिक क्षति होती है बल्कि श्रमिकों में थकान व निरसता में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन भी प्रभावित होता है। अनुकूल कार्य की दशा में श्रमिकों की जीवन स्तर एवं श्रम शक्ति के साथ साथ उनके स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। अस्तु प्रस्तुत शोध–प्रपत्र का उद्देश्य– ''भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) कोरबा में कार्यदशाएँ, कर्मचारी कल्याण एवं आधारभूत सुविधाएँ' : एक अध्ययन'' का अध्ययन है।

अध्ययन क्षेत्र एवं शोध–प्रविधि

छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर संभाग में स्थित कोरबा जिला ताप नगरी के नाम से प्रख्यात है। कोरबा जिले का अक्षांषीय विस्तार २२° १¹ उत्तरी अक्षांश से २३° ०१¹ उत्तरी अक्षांश तथा २२° ०८¹ पूर्वी देशांतर से ८३° ०९¹ पूर्वी देशान्तर पर स्थित है। कोरबा जिले का कुल क्षेत्रफल ७१४५४४ हेक्टेयर है। जनगणना २००१ के अनुसार जिले की जनसंख्या १०१२१२१ है। जिले की कुल साक्षरता प्रतिशत ६३.२४ है जिसमें पुरूषों का प्रतिशत ७७.२७ एवं महिलाओं का साक्षरता प्रतिशम ४८.६५ है। जिले में १० प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति तथा ४३ प्रतिशत अनुसूचित जनजाति निवास करती है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी लिमिटेड बालको की स्थापना २७ नवम्बर १९६५ में की गई। यह कम्पनी एशिया की प्रथम एल्यूमिनियम उत्पादन करने वाली है। यहां उत्पादन कार्य १९७३ से प्रारंभ हुआ। २०१० की स्थिति में बालको में कुल कार्यरत कर्मचारी ११८८० है जिसमें ८२.६ प्रतिशत पुरूश एवं १७.४ प्रतिशत महिला कर्मचारी है।

प्रस्तुत अध्ययन एक अनुभाविक न्यादर्ष पर आधारित व्यश्टि ;डपबतवद्ध अध्ययन है। २०१० की स्थिति में बालको में कुल कार्यरत कर्मचारी ११८८० है जिसमें ८२.६ प्रतिशत पुरूश एवं १७.४ प्रतिशत महिला कर्मचारी है। ''वर्गीकृत दैव निदर्शन पद्धति'' (Stratified Randm Sampling) के आधार पर २०० न्यादर्श का चयन कर प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार प्रश्नावली के माध्यम से प्राथमिक समंको का संकलन कर अध्ययन किया गया है। इसमें इस बात का ध्यान रखा गया है कि ''दैव निदर्शन पद्धति'' विभिन्न वर्गों के कर्मचारीयों के पृथक्करण के पश्चात ही लागू किया गया है ताकि प्रत्येक वर्ग के कर्मचारीयों का प्रतिनिधित्व हो सके। द्वितीयक समंको का संकलन संबंधित शासकीय एवं अशासकीय संस्थानों से संकलित आंकडों के माध्यम से अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत अध्ययन में २००१–०२ से २००९–१० तक का संदर्भित एवं संकलित आंकडों

का उपयोग कर आश्यकतानुसार सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग कर अध्ययन किया गया है।

कार्यदशाएँ, कर्मचारी कल्याण एवं अधारभूत सुविधएँ

किसी आद्यौगिक ईकाई में कार्य की दशाओं को स्पष्ट करने से पूर्व कार्य के शाब्दिक अर्थो को जानना आवश्यक होता है। कार्य उन कार्यो, कर्तव्यों और दायित्वों का समूह है जो एक व्यक्ति को सौपें जाते है तथा जो अन्य कार्य से भिन्न होते है। कार्य का आशय पदों के समूह से है जिसके अंतर्गत विभिन्न समूहों के रूप में अलग–अलग कार्यप्रणाली के लोग बंधे हुए रहते है। कार्य की प्रकृति ही श्रमिकों की कार्यक्षमता को निर्धारित करती है। यदि कार्य की दशाएँ श्रमिकों की मानसिकता के अनुकूल हो तो उत्पादन में अनुकूल वृद्धि होती है। इसके विपरीत कार्य की प्रकृति श्रमिक के कार्यकलाप के प्रतिकूल हो तो कार्यक्षमता पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जिससे न केवल आर्थिक क्षति ही होती है बल्कि श्रमिकों के थकान व निरस्ता में वृद्धि होती है जिससे उत्पादन भी प्रभावित होती है अत: किसी भी औद्योगिक ईकाई के उत्पादकता में वृद्धि हेतु कार्य की दशाओं का अनुकूल एवं संतुलित होना आवश्यक है श्रमिकों की कार्यदशाओं का अर्थ है कि श्रमिकों का कार्यस्तर ऐसा होना चाहिए जिससे श्रमिक के जीवन पर कार्य करने का दबाव न पड़े। उन्हें कार्य में निरसता एवं थकान का अनुभव न हो जिसके परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव न पड़े। अनुकूल कार्य की दशाएँ श्रमिकों के जीवन स्तर एवं श्रम शक्ति के साथ–साथ उनके स्थायित्व में वृद्धि करती है। भारत एल्यूमिनियम के श्रमिक जिस वातावरण में कार्य करते है वहाँ कार्यदशाएँ पर्याप्त है। इसमें श्रमिकों के स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सभी बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। श्रमिकों की कार्य की दशाओं की अनुकूलता में उनके द्वारा किए जाने वाली कार्य के घंटों का महत्वपूर्ण स्थान है। संयंत्र के कार्य करने वाले कर्मचारी प्रतिदिन आठ घंटे तथा सप्ताह में ४८ घंटे कार्य करते है। तकनीकी कर्मचारियों को निम्न पालियों में कार्य करना होता है। –

कार्यदशाओं को अनुकूल रखने हेतु संयंत्र द्वारा किए गए उपाय –

१. **स्वच्छता** – भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा संयंत्र की कार्यदशाओं को कर्मचारियों के अनुकूल
बनाये रखने हेतु स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है जिसके लिए स्वच्छता निरीक्षक की नियुक्ति की जाती है।

२. **धुएँ से सुरक्षा** – संयंत्र में उत्पादन क्रिया के फलस्वरूप जो धुल और धुआँ उत्पन्न होता है वह श्रमिकों के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। जिसे संयंत्र से तुरंत बाहर निकालने की व्यवस्था की गई है।

३. कारखाने के अंदर अधिक भीड़–भाड़ न हो इसका भी विषेष ध्यान रखा जाता है।

४. संयंत्र के अंदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाता है।

५. संयंत्र के अंदर पीने योग्य पानी शुद्ध एवं शीतल जल की भी जगह–जगह व्यवस्था की गई है ताकि श्रमिकों को पीने के पानी के लिए इधर–उधर भटकना न पड़े।

६. संयंत्र में कामगारों को उचित एवं रियायत दर पर नास्ते एवं भोजन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में कार्यदशाओं की उर्पयुक्त परिस्थितियाँ जहाँ कार्यदशाओं की अनुकूलता को अनुकूल बनाने में सहायक होती है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड में औद्योगिक नियोजन अधिनियम की धारा ७ के उपबंधों के अनुसार देय छुट्टियाँ अप्रेन्टिस, फुटकर, कामगार और स्थानापन्न को छोड़कर निम्न प्रकार की छुट्टी के हकदार उक्त संयंत्र के कर्मचारी होते है। अर्जित अवकाश प्रत्येक कामगार जिसमें प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के दौरान २४० दिन या उससे अधिक दिन काम किया हो तो अलग कलेण्डर वर्ष में कारखाना अधिनियम जो श्रमिकों पर लागू होता हो के उपबंधों के अनुसार परिगणित दिनों की छुट्टी के हकदार होगें। कामगारों को १० दिनों का अतिरिक्त अर्जित अवकाश उस कलेण्डर वर्ष में दी जाएगी। जिस वर्ष उसने कम से कम २४० दिन का काम किया हो। प्रत्येक कामगार प्रत्येक कलेण्डर वर्ष में १५ दिनों की बीमारी की छुट्टी पाने के हकदार होगें। इसी प्रकार कामगारों को कलेण्डर वर्ष के दौरान अनुपस्थिति के लिए वेतन सहित १० दिनों का आकास्मिक अवकाश देने का प्रावधान है। छुट्टी का हिसाब लगाते समय आधे दिन या दिन के इससे अधिक अंश की छुट्टी पूरे एक की छुट्टी समझी जावेगी और जो अंश आधे दिन से कम हो वह नही गिना जावेगा। साथ ही साथ छुट्टी स्वीकृत करने वाले प्राधिकारियों के नाम प्रबंधक द्वारा कामगारों को सूचित किए जाएँगे। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कोरबा में जहाँ कार्यदशाओं का निर्धारण, कार्य करने की अवधि एवं संवेतन छुट्टीयों के आधार पर किया जाता है। काम करने की अवधि, कामगार के स्वास्थ्य एवं सुविधा की दृष्टि से हितकर है। जिसके कारण कार्यदशा अनुकूल कही जा सकती है परन्तु वही पर कहा जा सकता है कि अपर्याप्त है। कामगारों की चिकित्सा एवं अर्जित छुट्टिओं की संख्या आवश्यकता से कम महसूस की जाती है। जहाँ अवैतनिक अवकाश लेने को कामगार मजबूर होते है। अत: कार्यदशाओं की अनुकूल स्थिति बनाने के लिए छुट्टी के अधिनियमों में परिवर्तन की नितान्त आवश्यकता है।

स्वास्थ्य एवं सफाई कार्य –

श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के दायित्वों के क्रम में स्वास्थ्य एवं सफाई का महत्वपूर्ण स्थान है श्रमिकों में व्याप्त बीमारी एवं शारीरिक दुर्बलता अनेक बुराइयों को जन्म देती है। जिससे श्रमिकों में समय की पाबंदी समाप्त हो जाती है। जिसका उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। औद्योगिक क्षेत्रों में चिकित्सा व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है क्योकि यह लाभ की वह धुरी है जिस पर सारी प्रणाली घुमती है किसी भी औद्योगिक इकाई या अन्य संस्थागत तथ्यों में संतुलित एवं धनात्मक कार्य हेतु शरीर का स्वास्थ्य एवं वातावरण का स्वच्छ होना अत्यंत आवश्यक होता है। कहा भी गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। बाल्को में कार्मिक विभाग के तहत संचालित कल्याण विभाग जो प्रशासनिक भवन बाल्को में स्थित है श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण दायित्वों के लिए उत्तरदायी है। बाल्को आवासीय परिसर के मध्य सर्वासुविधा युक्त २०० बिस्तर वाला चिकित्सालय उपलब्ध है जहाँ बाल्को कर्मचारियों के लिए एवं उनके आश्रितों के लिए नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। चिकित्सालय में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, आर्थोपेडिक, नेत्र दंत रोग के विषेषज्ञ, चिकित्सीय सुविधाओं के साथ हमेशा उपस्थित रहते है। बाल्को स्थित

चिकित्सालय में प्राय: प्रतिदिन शिशु सुरक्षा हेतु टीकाकरण जैसे कार्य किए जाते है परिवार कल्याण जो जनसंख्या नियंत्रण की सबसे उत्तर विधा है के संचालन सुविधा भी इस चिकित्सालय में उपलब्ध है जहाँ सप्ताह में ६ दिन परिवार कल्याण हेतु नसबंदी की जाती है। चिकित्सालय में यदि संघातिक रोगो का उपचार नही होता है तो उसके लिए बाल्को उपचारार्थ हेतु सुविधायुक्त चिकित्सालय में भेजने की व्यवस्था करता है। मरीजों को लाने एवं ले जाने के लिए एंबुलेंस की व्यवस्था की जाती है। जिसमें बाल्को कर्मचारियों को नि:शुल्क सुविधा प्रदान होती है। बाल्को आवासीय परिसर विस्तृत है जिसमें प्राथमिक चिकित्सा हेतु आवासीय परिसर के अन्य क्षेत्रों में ५ चिकित्सा औषधालय भी उपलब्ध है जहाँ प्राथमिक उपचार हेतु चिकित्सक २४ घंटे सेवा देने हेतु उत्पर रहते है ताकि आपातकाल में चिकित्सा उपलब्ध हो सके। बाल्को जहाँ स्वास्थ्य सुविधा पर कुल व्यय का ६ प्रतिशत् व्यय करती है वहीं २ प्रतिशत् धनराशि सफाई एवं स्वच्छता पर व्यय करती है औद्योगिक इकाई में सफाई एवं स्वच्छता महत्वपूर्ण स्थान रखती है जिसके आभाव में किसी औद्योगिक परिसर अनेक बीमारियों का जन्म एवं प्रसार में सहयोग मिलता है फलस्वरूप बाल्को सफाई हेतु श्रम कल्याण के अंतर्गत श्रम कल्याण के अंतर्गत पर्यावरण नियंत्रण विभाग की स्थापना की है। जिसका उद्देश्य पर्यावरण को संतुलित रखते हुए बाल्को श्रमिकों को पर्यावरण के दुष्प्रभाव से रक्षा करना है। बाल्को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर ५ जून को क्षेत्र में वृक्षारोपण के साथ ही अन्य अनेक कार्यक्रमों का आयोजन करती है। बाल्को विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण को विशेष महत्व देती है। कहा भी गया है कि ष्पजीवनज जतमम पे कमंजीए ूपजी जतमम पज पे सपमिष इस प्रकार बाल्को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु कटिबद्ध है। वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए बाल्को प्रद्रावक संयंत्र में एल्यूमिना से एल्यूमिनियम बनाने की प्रक्रिया में जिन गैसों का रिसाव होता है उसमें क्रायोलाइट, फ्लोरिन, कार्बन, फेरिक आक्साइड, एल्यूमिनियम प्रमुख है जिसमें से फ्लोरिन सर्वाधिक प्रभावकारी होता है जिसे नियंत्रित करने के लिए विद्युत विश्लेषीय सैल है जिसमें लंबवत् सोडर वर्ग, एनोडस्टड होता है और गैस संग्राहक फुड सैल के संपूर्ण क्षेत्र में लगे होते है जो गैस एक्ट को गैस क्लीनिंग संयंत्र से जोड़ते है। प्रत्येक विद्युत विश्लेषीय सेल में बर्नर लगाएँ जाते है जो गैस के जलने वाले अंश को जला देते है जिसके फलस्वरूप न जलने वाली गैस ही क्लीनिंग संयंत्र को जाती है।

परिवहन सुविधा —

किसी भी संयंत्र में परिवहन की सुविधा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भारत एल्यूमिनियम लिमिटेड कंपनी कोरबा शहर से ८ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है लेकिन इस संयंत्र की मुख्य रेल लाइन (चांपा) से ४३ किमी. की दूरी पर है। दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण जरूरत के सामान बाल्को में उपलब्ध नही हो पाते ऐसी स्थिती में कर्मचारियों को कोरबा आना—जाना पड़ता है साथ ही अच्छे शिक्षण व्यवस्था के लिए कर्मचारियों के बच्चों को कोरबा तक सफर भी करना पड़ता है क्योंकि अनेक शालाएँ एवं महाविद्यालय कोरबा में ही स्थित है इसके लिए बाल्कोद्वारा अतिरिक्त सुविधा प्रदान की गई है जिससे कर्मचारियों के बच्चे अध्ययन के लिए प्रतिदिन कोरबा तक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आ सके।

आवास सुविधा —

किसी भी औद्योगिक इकाई में श्रम कल्याण के अंतर्गत आवास सुविधा एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसका सीधा प्रभाव उत्पादन पर पड़ता है। आवास व्यवस्था के अंतर्गत न केवल चार दीवारी शामिल की जाती है बल्कि आवास के आस—पास के वातावरण को भी शामिल किया जाता है कर्मचारियों की सभी जरूरतों में से सस्ती एवं सभ्य आवास व्यवस्था ही है। सभ्य जीवन में आवास एक मानवीय परिवार की पहली पहली जरूरत है। यह उस भौतिक वातावरण का एक सबसे महत्पूर्ण भाग है जो किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर लगातार असर डालता है। आवास व्यवस्था का अर्थ आरामदायक आश्रम एवं ऐसे वातावरण व ऐसी सेवाओं की व्यवस्था करने से है जो श्रमिक को साल में हर समय स्वस्थ एवं खुश रखें। जल पूर्ति, जल निकासी, सड़क, प्रकाश यातायात व संचार के साधन डॉक्टरी सहायता, शिक्षा , खेलकूद आमोद प्रकाशन क्रय—विक्रय आदि केन्द्र भी आवास व्यवस्था में शामिल होते है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को कोरबा अपने स्थापना समय से लेकर वर्तमान समय तक निरंतर ब्यूरों ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस द्वारा निर्धारित प्रतिमान से कही अधिक आवासीय मकानों का निर्माण कर, कम दरों श्रमिकों को आबंटित किया गया है। बाल्को अपने कार्यरत श्रमिकों में से लगभग ६३ प्रतिशत श्रमिकों को आवासीय उपलब्ध कराने में सफल रहा है। जहाँ बाल्को क्षेत्र में विभिन्न आकार मकानों को अलग—अगल सेक्टर में विभक्त कर श्रमिकों के पद एवं श्रेणी के आधार पर मकान आबंटन किया गया है जिसमें रियायती दर पर बिजली एवं पानी की व्यवस्था है। बाल्को में आवासीय परिसर लगभग ६ कि.मी. लबें एवं ३ कि.मी. चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। आवासीय कालोनी को सुविधा कि दृष्टि में ६ विभिन्न सेक्टरों में विभक्त किया गया है। वहीं विभिन्न सेक्टरों को विभिन्न श्रेणीयों के श्रमिकों के अनुसार अलग—अलग प्रकार के मकान उपलब्ध कराये जाते है। उस दृष्टि से ६ सेक्टरों को ज्लचम ।एठएब्एक्ए आदि वर्गो में विभक्त किया गया है। बाल्को में अलग—अलग आकार, प्रकार के मकानों के कुल संख्या ६६९२ है। जिसमें ११२ बिस्तरों वाला छात्रावास भी सम्मिलित है। वहीं अग्निशमन अधिकारी के विभिन्न प्रकार के कुल ३६ आवासीय मकान सम्मिलित है। बाल्को में उपरोक्त आवासीय व्यवस्था की जो स्थिति है उससे केवल कुल कार्यरत श्रमिकों में से ६० प्रतिशत् श्रमिकों को ही इस सुविधा का लाभ प्राप्त होता है। शेष ४० प्रतिशत् श्रमिक बाल्को क्षेत्र से बाहर किराये के मकानों में निवास करते है। जिसके कारण इन श्रमिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे ये श्रमिक अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान नहीं होते है। और समय— समय पर उत्पादन को प्रभावित करते है। इसके साथ इन श्रमिकों को किराये के मकान की तलाश के साथ सुविधाओं के आभाव में अनेक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

शिक्षा सुविधा —

औद्योगिक इकाई में श्रम कल्याण का महत्वपूर्ण योगदान रहता है जिसके आभाव में औद्योगिक उत्पादन असंतुलित हो जाता है। श्रम कल्याण की दृष्टि से एक नियोक्ता जहाँ श्रमिकों के हितार्थ, स्वास्थ्य, आवास की व्यवस्था करता है ठीक उसी प्रकार एक नियोक्ता के लिए शिक्षा का भी उतना ही महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ श्रमिक अपने बच्चों को उचित शिक्षा ग्रहण करा सके और भावी उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर सके। यह भी सत्य है कि आज के

बच्चे कल के नागरिक है। उस दृष्टि से बच्चे को प्रारंभ से उच्च शिक्षा प्रदान की जावें। उच्च शिक्षा के आभाव में बच्चे कुंठित एवं अशिक्षित होते है जिसका सीधा संबंध बच्चों के अभिभावकों पर पड़ता है। अत: शिक्षा की उचित व्यवस्था आवासीय परिसर में होने से ही श्रमिकों के मानसिक एवं शारीरिक विकास की कल्पना की जा सकती है। बाल्को आवासीय परिसर में ०३ राज्य शासन द्वारा संचालित विद्यालय है। जहां प्रथम विद्यालय में ६वीं से १२वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था है। ०१ विद्यालय शासकीय कन्या विद्यालय है। जहां ६वीं से १०वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था है। जहां क्रमश: १२५० एवं ७८० छात्र—छात्राएं अध्ययनरत है। जो कुल प्रतिशत् का क्रमश: २३.६२ एवं १४.७४ प्रतिशत् छात्र संख्या है। तीसरे क्रम में शासकीय प्राथमिक विद्यालय का स्थान है। जहां कक्षा ०१ से ०५वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था है। ये विद्यालय क्रमश: बाल्को आवासीय परिसर के सेक्टर ट में स्थित है जहां १७३८ छात्र—छात्राएं अध्ययनरत है। जो कुल प्रतिशत् का क्रमश: ३२.८४ प्रतिशत् छात्र संख्या है। चौंथे क्रम में शासकीय क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय का स्थान है। जिसका संचालन केन्द्र सरकार द्वारा होता है। जहां १५२४ छात्र—छात्राएं अध्ययनरत है। जो कुल प्रतिशत् का क्रमश: २८.८० प्रतिशत् छात्र संख्या है। बाल्को आवासीय परिसर में निजी क्षेत्र के अलग—अलग स्तर के ९ स्कूल संचालित है। जहां कुल ५५७० छात्र— छात्राएं अध्ययनरत है। जिसमें ३ विद्यालय में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं शेष माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर के विद्यालय है। निजी क्षेत्र के विद्यालयों में सर्वाधिक संख्या में कुल में ३१.२७ प्रतिशत् छात्र—छात्राएं आदर्श बाल मंदिर में अध्ययनरत है। जहां १७४२ छात्र—छात्राएं अध्ययनरत है दूसरे क्रम पर मिनीमाता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है जहां ४३२ छात्र—छात्राएं अध्ययनरत है जो कुल छात्र संख्या का ७.७६ प्रतिशत् है। तीसरे क्रम पर बाल सदन विद्यालय का क्रम आता है जो ज्ञण्ळण से १२वीं तक संचालित है जिसमें १०२७ छात्र—छात्राएं अध्ययनरत है। जो कुल छात्र संख्या का १८.४४ प्रतिशत् है। निजी क्षेत्र में संचालित विद्यालयों के शिक्षकगण एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन की व्यवस्था बाल्को प्रबंध तंत्र एवं संचालन समिति द्वारा की जाती है। जहां शासकीय एवं निजी क्षेत्र के विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य वेतन विसंगतियां पाई जाती है। बाल्को आवासीय परिसर में शासकीय एवं निजी क्षेत्र मिलाकर कुल १०८६२ छात्र—छात्राएं अध्ययनरत है जहां ९५ प्रतिशत् छात्र—छात्राएं बाल्को श्रमिकों के है जबकि शेष ५ प्रतिशत् बाल्को से बाहर के है जो सुविधा अनुसार यहां अध्ययन के लिए आते है कुल छात्र—छात्राओं में ४८.७२ प्रतिशत् अर्थात ५२९२ छात्र—छात्राएं शासकीय विद्यालयों में अध्ययनरत है जबकि ५१.२८ प्रतिशत् अर्थात ५५७० छात्र—छात्राएं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत है। बाल्को प्रबंध तंत्र ने शिक्षा कि समुचित व्यवस्था के लिए शिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया है वहां केवल माध्यमिक या इंटरमिडियेट कक्षाओं तक की शिक्षा कि व्यवस्था है उच्च शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं का सर्वथा आभाव है।

दुर्घटना सुरक्षा साधन —

औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका स्वास्थ्य। ''दुर्घटना एक अप्रत्याशित अनियंत्रित तथा अनियोजित घटना है जिससे उद्देश्य विशेष के लिए की गई क्रिया अथवा प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप चोट आ जाती है अथवा आने की संभावना रहती है। पश्चिम के विकसित देशों में प्रत्येक नागरिक

के लिए जन्म से मृत्यु होने वाले खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए समाजिक बीमा योजना शुरू की गई है। विशेषकर ब्रिटेन में सर विलियम बिब्रेज की योजना के आधार पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सामाजिक सुरक्षा की व्यापक योजना लागू की गई जिसे बिब्रेज प्लान कहा जाता है। विकासशील देशों में आज यह अनुभव किया जाने लगा है कि प्रत्येक नागरिक को पूर्ण सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना समाज अथवा राज्य का कर्तव्य है इसे जन्म से मृत्यु तक प्रदान किया जाना चाहिए। आधुनिक विचारक इससे भी आगे बढ़ गए है और उनका कहना है कि ऐसी सुरक्षा गर्भ से कब्र तक प्रदान की जानी चाहिए। सुरक्षा योजना वस्तुत: एक समाजिक बीमा योजना है जो व्यक्तियों को संकट के समय धनोपर्जन क्षमता में कमी के समय तथा जन्म मृत्यु अथवा विवाह आदि में होने वाले अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति के अवसर पर लाभ प्रदान करती है। भारत ने भी इस दिशा में काफी प्रयास किया है। भारत एल्यूमिनियम कम्पनी बाल्को (कोरबा) में कुल २०० अधिकारियों/कर्मचारियों से जानकारी प्राप्त की गई। प्राप्त जानकारी अनुसार प्रबंधक वर्ग के २० अधिकारियों द्वारा अपने दुर्घटना सुविधाओं के बारे में १२ अधिकारियों नें हाँ में उत्तर दिया अर्थात १२ अधिकारी उक्त सुविधा से संतुष्ट हैं तथा ०५ अधिकारियों ने ना में उत्तर दिया अर्थात ०५ अधिकारी उक्त सुविधा से असंतुष्ट हैं तथा ०३ अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। कुशल वर्ग के ७० अधिकारियों द्वारा अपने दुर्घटना सुविधाओं के बारे में ४८ अधिकारियों में हाँ में उत्तर दिया अर्थात ४८ अधिकारी उक्त सुविधा से संतुष्ट हैं तथा २० अधिकारियों ने ना में उत्तर दिया अर्थात २० अधिकारी उक्त सुविधा से असंतुष्ट हैं तथा ०२ अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अर्धकुशल कुशल वर्ग के ५० अधिकारियों द्वारा अपने दुर्घटना सुविधाओं के बारे में ३५ अधिकारियों में हाँ में उत्तर दिया अर्थात ३५ अधिकारी उक्त सुविधा से संतुष्ट हैं तथा १२ अधिकारियों ने ना में उत्तर दिया अर्थात १२ अधिकारी उक्त सुविधा से असंतुष्ट हैं तथा ०३ अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। अकुशल वर्ग के ६० अधिकारियों द्वारा अपने दुर्घटना सुविधाओं के बारे में ४० अधिकारियों में हाँ में उत्तर दिया अर्थात ४० अधिकारी उक्त सुविधा से संतुष्ट हैं तथा १५ अधिकारियों ने ना में उत्तर दिया अर्थात १५ अधिकारी उक्त सुविधा से असंतुष्ट हैं तथा ०५ अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि कुल २०० में से १३५ अधिकारियों ने हाँ में उत्तर दिया जिसका प्रतिशत् ६७.५ है तथा ५२ अधिकारियों ने नहीं में उत्तर दिया जिसका प्रतिशत २६ है तथा १३ अधिकारियों ने कोई उत्तर नहीं दिया जिसका प्रतिशत् ६.५० है।

भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को में औद्योगिक सुरक्षा अधिनियम लागू है। जिसके आधार पर वहां कार्य पर लगे हुए श्रमिकों के आकस्मिक दुर्घटना पूर्व बीमा योजना का लाभ कंपनी द्वारा दिया जाता है। कंपनी में कार्यरत श्रमिकों की सुरक्षा हेतु अधिनियम के तहत पर्याप्त सुरक्षा साधन उपलब्ध कराए जाते है। इन उपलब्ध सुरक्षा साधनों के बावजूद बाल्को संयंत्र में अनेक कारणों से दुर्घटनाये होती है। जिसके परिणामस्वरूप श्रमिक समय–समय पर इसकी चपेट में आ जाते है। इन आकस्मिक दुर्घटनाओं पर नियंत्रण लगाने के लिए बाल्को में समय–समय पर सुरक्षा से संबंधित अनेक उपाय का क्रियान्वयन किया जाता है। बाल्को कंपनी में श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए अनेक उपाय किए गए है। जिसके अंतर्गत संयंत्र के अंदर काम करने वाले श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसलिंग की ओर से औद्योगिक सुरक्षा के व्यापक प्रचार एवं

प्रसार के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में एक चार्टर की स्थापना केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के माध्यम से बाल्को इकाई द्वारा कि गई है।

मनोरंजन एवं खेलकूद –

श्रमिकों को मानसिक थकान से राहत देने एवं उनके बच्चों को शैक्षणिक थकान से राहत देने के लिए मनोरंजन की सुविधा आवश्यक है किसी औद्योगिक इकाई में संतुलित विकास हेतु श्रमिकों के मानसिक थकान को दूर करना आवश्यक होता है। जिसमें मनोरंजन सुविधाएँ उपलब्ध होती है। बाल्को में भी आवासीय सेक्टर में सिनेमा के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था है। यहां आधुनिक सुविधा से युक्त खेल के मैदान है। जिसमें फुटबाल, क्रिकेट, हाकी, खो–खो, कबड्डी आदि का नियमित रूप से अभ्यास खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है। खेल सामाग्री तथा किट प्रबंध तंत्र द्वारा प्रदान की जाती है। नियमित अभ्यास तथा प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए श्रमिकों को आवश्यकतानुसार विशेष छुट्टी एवं अन्य सुविधा भी दी जाती है। प्रेम मातृत्व, समाजसेवा एवं सद्विश्वास में वृद्धि हेतु राष्ट्रीय पर्व के अतिरिक्त विविध समारोह का भी आयोजन किया जाता है। भाग लेने वाले सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु पुरस्कार भी वितरित किए जाते है। बाल्को कर्मचारियों द्वारा बाल्को नगर में रामलीला आयोजन हेतु एक समिति बनाई गई है जहां प्रत्येक वर्ष दशहरें के समय रामलीला आयोजित की जाती है। दुर्गा पूजा एवं गणेश पूजा की समितियों का भी गठन किया गया है, जहां गणेश उत्सव के समय १० दिन तक अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते है। इन सभी आयोजनों के लिए यथा–संभव नि:शुल्क सामाग्री प्रदान की जाती है सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल विधा में विजयी बच्चों को पुरस्कार एवं प्रमाण–पत्र वितरित कर उनका प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार बाल्को प्रबंध तंत्र मनोरंजन/खेल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रमिकों को मानसिक रूप से संतुष्ट करने में सफल रहा है।

अन्य सुविधा –

श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा किसी भी औद्योगिक इकाई के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत आवश्यक होती है। श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा ही कर्मचारियों की कार्यदशाओं में प्रोत्साहन देती है वहीं दूसरी ओर आवश्यक जोखिमों को सहन करने की शक्ति भी प्रदान करती है। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बाल्को) कोरबा में श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से चिकित्सा सुविधा, शिक्षा सुविधा, मनोरंजन सुविधा आदि की व्यवस्था करती है वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों के हित में अनेक कल्याणकारी व सुरक्षा संबंधी कार्य संपन्न करती है, जो निम्न प्रकार है–

१. **उचित मूल्य की दुकान–** बाल्को मे अपने कर्मचारियों के लिए सस्ती/रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु उचित मूल्य की दुकानों की व्यवस्था की जाती है। इन दुकानों को चलानें के लिए उचित किराए पर भवन तथा भवन में बिजली, पानी की सुविधा भी प्रदान की है। बाल्को में अलग–अलग आवासीय सेक्टर में कुल छ: उपभोक्ता भंडार की व्यवस्था है। जिसमें प्रत्येक माह श्रमिको को उचित मूल्य पर गेहूँ, चावल, चीनी, अन्य घरेलू उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होती है।

२. **केन्टीन सुविधा –**बाल्को प्रबंध द्वारा अपने कर्मचारियों को सस्ती दरों पर चाय नास्ता एवं भोजन इंडियन काफी हाऊस के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। इस हेतु बाल्को द्वारा

अनुदान प्रदान किया जाता है। मुख्य केन्टीन बाल्को प्लांट के अंदर है। इसके अतिरिक्त शाखा केन्टीन भी है, जो कार्यस्थल पर भोजन की व्यवस्था करती है। केण्टीनों में खाद्य पदार्थों के वितरण का समय भी निर्धारित है जा इस प्रकार है — सुबह १०:३० से ११:०० बजे — नास्ता एवं चाय, दोपहर ०१:०० से ०२:०० — भोजन, दोपहर ०३:०० से ०३:३० बजे — चाय । केन्टीन रविवार को छोड़कर सभी दिन खुलता है। केन्टीन के लिए कर्मचारी और प्रबंध तंत्र दोनों तरफ से काम करने के लिए श्रमिक है। इस केन्टीन में खाद्य पदार्थ हेतु कर्मचारी कुल लागत का ४० प्रतिशत् दान देते है। बाकी ६० प्रतिशत् प्रबंध तंत्र प्रदान करती है।

३. रोजगार की सुविधा — बाल्को द्वारा समय–समय पर स्थानीय, जिला, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञापन जारी कर योग्य व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा प्रदान करती है। अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों के साथ–साथ जागरुक व्यक्तियों को काम पर रखने के लिए बाल्को प्रबंधन कटिबद्ध है।

४. मृत्यु राहत एवं सेवा निवृत्ति — मान्यता प्राप्त यूनियन एवं प्रबंध तंत्र के बीच हुए समझौते के अनुसार बाल्को में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से १० प्रतिशत की राशि काटकर पी.पी.एफ में जमा की जाती है तथा किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर उसके उत्तराधिकारी को प्रदान कर दी जाती है। सेवा निवृत्ति पर सेवा निवृत्त होने कर्मचारी को भी उसकी जमा धन राशि ब्याजमय सहित का भुगतान इस कोष से किया जाता है।

५. वर्दी एवं सुरक्षा साधना — सभी कामगारों/कर्मचारियों जिनमें अनुसचिवीय कर्मचारी भी शामिल है को हर १२ महीनें में वर्दी मिलती है। जिसमें टेरीकाट की कमीज व पेंट के दो सेट है। महिला कर्मचारियों/कामगारों को टेरीकॉट साड़ी ब्लाउज या सूट के दो सेट दिये जाते है। जूते भी तदानुसार मुहैया कराया जाता है। जिन कर्मचारियों/कामगारों को सुरक्षा साधन की जरूरत होती है, उन्हें कंपनी प्रदान करती है। जिन कार्यस्थल में गमजूते, चश्में, हेलमेट की आवश्यकता है कंपनी उन्हें प्रदान करती है। बाल्को द्वारा उपभोक्ता बाह्य सुविधाओं के अतिरिक्त श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से आवासीय परिसर में ही कल्याण बैंक, आरक्षी केन्द्र आदि की सुविधाएँ प्रदान की गई है। बाल्को प्रबंध तंत्र द्वारा संयंत्र के आस–पास स्थित तीन गांवों को विकास कार्य के लिए अंगीकृत किया गया है। विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीणों के लिए चिकित्सा सुविधा, टीके की सुविधा, वृक्षारोपण, खेलकूद, परिवार कल्याण कार्यक्रम आदि सुविधा की व्यवस्था की जाती है। तीन गांव जिन्हें अंगीकृत किया गया है वे लालघाट, भद्रापारा, डंडुर है। जहां सप्ताह में एक बार बाल्को के चिकित्सक इन गांवों का दौरा कर मुफ्त दवाई एवं इलाज उपलब्ध कराते है। इन अंगीकृत गांवो में ५००० पौधें भी पर्यावरण की दृष्टि से रोपित किए गए है। वहीं इन अंगीकृत गांवो में साक्षरता का स्तर ९० प्रतिशत् तक बाल्को द्वारा ही सुविधा उत्पन्न करने के कारण ही संभव हुआ।

बाल्को श्रम कल्याण एवं सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सुविधायुक्त सड़कों का निर्माण भी किया है। आवश्यकतानुसार गति अवरोधक का निर्माण भी कराया गया है। जिससे दुर्घटना जैसी आशंकाओं को दूर किया जा सके।

६. बीमा योजना — सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से बीमा योजना एक महत्वपूर्ण योजना होती है जिसके द्वारा बाल्को अपने कर्मचारियों को दुर्घटना होने पर दुर्घटना जोखिम स्वरूप दुर्घटना बीमा का लाभ देती है। बाल्को प्रबंध तंत्र द्वारा सामूहिक बीमा योजना लागू की गई है। जिसका प्रीमियम बाल्को प्रबंध तंत्र द्वारा

दिया जाता है। कर्मचारी को इस मद में किसी प्रकार की राशि नही देनी पड़ती है। मरणोपरांत कर्मचारी को उनके विभिन्न वेतनमानों के अनुसार राशि प्रदान की जाती है। बाल्को प्रबंध तंत्र द्वारा सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी चलाई जा रही है। यह योजना उन कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा के लिए अपनाई गयी है जो कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत नही आते है तथा उन सभी कर्मचारियों के लिए जो कंपनी की सेवा में रहते हुए कार्य नियोजन की अवधि के बाहर किसी दुर्घटना के शिकार के होते है। इस योजना के अंतर्गत भी कंपनी स्वयं बीमा प्रीमियम चुकाती है तथा कर्मचारियों को कोई भी राशि नहीं देनी पड़ती।

७. अन्य सुविधा — बाल्को शुद्ध पानी की सुविधा के लिये यहां से ७ किमी. दूर स्थित हसदेव बराज से करती है। यहां से पानी को बाल्को में स्थित ६ फिल्टर प्लांट से फिल्टर करने के बाद बाल्को के कर्मचारियों एवं परिवारों को पानी की आपूर्ति करता है। यह श्रम कल्याण के क्रम में एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है बाल्को ने सर्वसुविधायुक्त ५ उद्यानों का भी निर्माण किया है, जहां बच्चें अपना मनोरंजन करते है। इसी कड़ी में बाल्को ने पर्यावरण को संतुलित करने के लिए २,००,००० पौधे का वृक्षारोपण किया है। जो अपने—आप में एक अनोखा प्रयास है। बाल्को में ५ शॉपिंग सेंटर है जबकि १५० दुकानों क्रियाशील है जिससे बाल्को श्रमिकों श्रमिक समीप से ही अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते है। जिससे श्रमिकों का धन एवं समय दोनों बच जाता है। बाल्को में मनोरंजन हेतु एक सिनेमा घर तथा पॉच क्लब के साथ अन्य कार्यक्रम मनोरंजन हेतु समय—समय पर उपलब्ध कराएँ जाते है। उपरोक्त बाह्य सुविधाओं के साथ भी बाल्को परिसर में स्थित स्कूल, डाकघर, बैंक एवं अन्य संस्थाओं में कार्य करने वाले कर्मचारियों को भी नि:शुल्क चिकित्सा एवं आवास के साथ अन्य सुविधाएँ भी प्राप्त होती है, जो एक बाल्को कर्मचारी को दी जाती है। बाल्को द्वारा श्रमिकों के लिए जो भी सुविधाएँ मुहैया करायी गयी है वह पूरी तरह से आवश्यकतानुसार तो है परन्तु आज बाल्को की बढ़ती हुई जनसंख्या के सामने इसमें परिमाणात्मक एवं गुणात्मक संशोधन की आवश्यकता का अनुभव महसूस किया जा रहा है जिसमें समयानुसार विभिन्न सुविधाओं में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

संदर्भ—ग्रंथ

१. भगोलीवाल, टी.एन. (१९९५) — ''श्रम अर्थशास्त्र एवं औद्योगिक संबंध'', साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा

२. चौधरी, सी.एस. (२००३) — .मजदूरी नीति एवं सामाजिक कल्याण, कॉलेज बुक डिपाट, जयपुर,

३. Daver, Rustom S. (1980) & Personnel Management and Industrial Relation in India, New Delhi, Vikas Publishing,

४. Davis, Keith (1961) & Human Behaviour at work. New Delhi. Tata McGraw- Hill Publishing Company Limited.

५. गुप्त, बी.एन. (२००५) — औद्योगिक संगठन एवं प्रबंध, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा

६. कुलश्रेष्ठ, आर.एस. (२००८) — औद्योगिक अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगर

७. कुलश्रेष्ठ, आर.एस. (२००८) — भारत में उद्योगों का प्रबंध, संगठन एवं वित, साहित्य भवन पब्लिकेशन, हास्पिटल रोड, आगरा
८. कमलेश एस.आर. (२००२) — छत्तीसगढ़ की भौगोलिक समीक्षा, वसुन्धरा प्रकाशन, गोरखपुर
९. कपिल, एच.के. (२००५) — अनुसंधान विधियॉ, एच. पी. भार्गव बुक हाउस, आगरा
१०.माथुर, जगदीश शरण (२००१) — सेवीवर्गीय प्रबंध एवं औद्योगिक संबंध, विश्वविद्यालयीन प्रकाशन, वाराणसी
११.मिश्र, एस.के. एवं पुरी व्ही.के. (२००४) — भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली,
१२.नागर, कैलाश नाथ (१९९७) — सांख्यिकी के मूल तत्व, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ
१३.पाण्डेय, बालेश्वर (१९८२) — भारत में श्रम कल्याण, उत्तर प्रदेश, हिन्दी ग्रंथ अकादमी,
१४.सक्सेना, आर.सी. (२००३) — श्रम समस्यांए एवं सामाजिक कल्याण, रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ
१५.यादव, सुन्दर लाल (१९८३) — मजदूरी नीति और सामाजिक सुरक्षा, राजसील हिन्दी ग्रंथ अकादमी, जयपुर,